

पत्रांक-05/बी02-13/2015

बिहार सरकार,
शिक्षा विभाग,

प्रेषक,

डॉ० खालिद मिर्जा,
निदेशक, (उच्च शिक्षा)

सेवा में,

प्राचार्या,
राजकीय महिला महाविद्यालय,
गर्दनीबाग/गुलजारबाग, पटना।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2016-17 में गैर योजना अन्तर्गत स्थापना मद में आवंटन। पटना, दिनांक/...../.....

महोदय,

मांग संख्या-21, मुख्य शीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष-03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष-103-राजकीय कॉलेज तथा संस्थान, उप शीर्ष-0003- राजकीय महिला महाविद्यालय, विपत्र कोड संख्या- एन 2202031030003 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में निम्नांकित मदों में अंकित राशि ₹0 3,08,11,000/- (तीन करोड़ आठ लाख ग्यारह हजार रुपये) मात्र आपको आवंटित की जाती है।

विवरणी

क्र० सं०	मद	पूर्व में आवंटित राशि		योग (3+4)	आवंटित राशि		योग (6+7)	कुल आवंटित राशि
		रा०म०महा० गर्दनीबाग	रा०म०महा० गुलजारबाग		रा०म०महा० गर्दनीबाग	रा०म०महा० गुलजारबाग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0101-वेतन	-	-	-	-	-	-	-
2	0103-जीवन यापन भत्ता	-	-	-	6200000	5713000	11913000	11913000
3	0104-भकान किराया भत्ता	-	-	-	8000000	7606000	15606000	15606000
4	0105-परिवहन भत्ता	-	-	-	1400000	1075000	2475000	2475000
5	0106-चिकित्सा भत्ता	-	-	-	188000	175000	363000	363000
6	0107-अन्य भत्ता	-	-	-	50000	49000	99000	99000
	योग :- वेतन एवं भत्ते	-	-	-	15000	13000	28000	28000
7	1101-यात्रा व्यय	-	-	-	158,53,000	1,46,31,000	3,04,84,000	3,04,84,000
8	1301-कार्यालय व्यय	-	-	-	9000	7000	16000	16000
9	1303-दूरभाष	-	-	-	50000	49000	99000	99000
10	1304-विद्युत प्रभार	-	-	-	9000	7000	16000	16000
11	1306-वर्दी/पोशाक	-	-	-	58000	57000	15000	15000
12	2101-सामग्री एवं पूतियाँ	-	-	-	8000	7000	15000	15000
	योग :-	-	-	-	33000	33000	66000	66000
					1,60,20,000	1,47,91,000	3,08,11,000	3,08,11,000

तत्काल आवंटित राशि 3,08,11,000/- (तीन करोड़ आठ लाख ग्यारह हजार रुपये) मात्र।

2. यह राशि वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 (वि0-2), दिनांक-17.04.1998 300(वि), दिनांक-08.05.2009, 423 दिनांक-31.03.2016 एवं 2793 दिनांक-04.04.2016 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटित है।
3. प्राप्त आवंटन से विधिवत रूप से नियुक्त एवं स्वीकृत बल के अन्तर्गत कार्यरत कर्मियों को ही भुगतान किया जाय।
4. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छान-बीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियम के आलोक में ही किया जाए। आवंटित राशि के विरुद्ध किसी भी प्रकार की छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी एवं व्ययन तथा वित्तीय अनुशासनहीनता की पूरी जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
5. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय। सक्षम पदाधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर नियम के आलोक में ही व्यय किया जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हों।
6. माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में यदि किसी प्रकार के बकाया वेतन का नियमतः भुगतान किया जाना आवश्यक हो तो उसका भुगतान इस आवंटित राशि से किया जा सकता है।
7. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष आदि का स्पष्ट मुहर इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाए, ताकि महालेखाकार कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
8. मासिक व्यय विवरणी अगले माह की 10वीं तारीख तक टी0भी0नं0 एवं तिथि के साथ अनिवार्य रूप से अधोहरस्ताक्षरी को भेजी जाय।
9. भित्तव्ययिता अवश्य बरतें।
10. आवंटित राशि का विचलन अन्य मदों पर नहीं किया जाय।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(डॉ० खालिद मिर्जा),
निदेशक (उच्च शिक्षा),

ज्ञापांक:- २०

पटना, दिनांक:- 31/5/16

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 ह0), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना सिटी, पटना/अवर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी/प्रशाखा-05, 14, 15 एवं कार्यवाहक सहायक/गार्ड फाईल/आई0 टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित

Khaliq Mirza
2-5-16
(डॉ० खालिद मिर्जा),
निदेशक (उच्च शिक्षा),
क/न